परिशिष्ट - 31

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक एफ14(1)(208)नुवाप / सान्याअवि / 07 / 22944 जयपुर, दिनांक : 25.04.2007

पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2007

राज्य सरकार राजस्थान राज्य के अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना के अन्तर्गत सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु निम्नानुसार संशोधित नियम बनाती है :–

नियम 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रभाव क्षेत्र

1) ये नियम पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2007 कहलायेगें व योजना के संचालन हेतु पूर्व में प्रसारित पालनहार योजना संचालन नियम, 2005 का स्थान लेंगे।
2) ये नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

नियम 2. परिभाषा – जब तक कोई बात अन्यथा प्रतीत नही हों तब तक निम्नानुसार दी गई परिभाषायें ही इन नियमों के निर्वचन (Interpretation) अन्तिम होगी –

1) "राज्य सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
2) "विभाग" से तात्पर्य राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अभिप्रेत है।
3) "आयुक्त" से तात्पर्य विभाग के आयुक्त से अभिप्रेत है।
4) "जिला अधिकारी" से तात्पर्य विभाग द्वारा जिले में इस रुप में नियुक्त / पदस्थापित विभाग के किसी भी अधिकारी से है चाहें उसकी रेंक या वेतनमान कुछ भी हो, से अभिप्रेत है।
5) "प्रभारी अधिकारी" से तात्पर्य तत्समय विभाग के निदेशालय में योजना के क्रियान्वयन अधिकारी से है।
6) "अनाथ बच्चों" से तात्पर्य ऐसे बालक / बालिका से है, जिनके माता एवं पिता दोनो की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनको न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता–पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों।
7) "पालनहार" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों के रूप में परिभाषित बच्चों को भोजन, वस्त्र, आवास, कपड़े और प्रारम्भिक शिक्षा व अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का दायित्व लेना चाहता है। निराश्रित पेंशन हेतु पात्र विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए विधवा महिला स्वंय पालनहार होगी।

नियम 3. अनुदान पात्रता

(1) बच्चों की उम्र जन्म से लेकर 18 वर्ष तक होनी चाहिए।

(2) योजना में अनाथ बच्चें की परिभाषा में चिन्हित बच्चें आवेदन की तिथि को कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो।

(3) पालनहार आवेदन की तिथि को कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहा हो।

(4) निराश्रित पेंशन हेतु पात्र विधवा महिला के बच्चों के अलावा, शेष बच्चों के पालनहारों के लिए –

1) पालनहार को ऐसे बच्चों को अपने घर में रखना होगा जिनके माता–पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो व पालनहार द्वारा ऐसे बच्चों को घर जैसी सामान्य सुविधाएं देनी होगी।

2) उन बच्चों के कोई सहोदर व्यस्क भाई कमाने वाले नहीं हो।

3) वार्ड पार्षद/सरपंच का प्रमाण–पत्र कि यह बच्चा/बच्चे अनाथ है। उपरोक्त कारणों से अनाथ है तथा वर्तमान में ..... के घर पर रहता है, जो इसकी पूरी देखभाल करते हैं।

4) पालनहार को बच्चे के माता–पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5) पालनहार परिवार (देखभाल करने वाला) की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।

(5) विधवा महिला को अपने बच्चों के लिए योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु निराश्रित पेंशन की पात्रता पूर्ण करना आवश्यक होगा व इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। निराश्रित पेंशन प्राप्त करने वाली विधवा महिला को आय प्रमाण पत्र, परिवार के व्यस्क सदस्यों का विवरण व पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र के स्थान पर पी.पी.ओ. प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

(6) इन बच्चों को 2 वर्ष की उम्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तथा 6 वर्ष की उम्र में स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। 6 वर्ष या अधिक आयु के विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(7) 15 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद इन बच्चों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रखा जायेगा। छात्रावास में अवकाश होने पर इन अनाथ बच्चों को पालनहार द्वारा रखा जायेगा, जिसके लिए पालनहार को अवकाश अवधि के अनुपात में मासिक अनुदान मिलेगा। ऐसे अनाथ बच्चों की सम्पत्ति का विवरण विभाग द्वारा तहसीलदार/नगरपालिका एवं पंचायत को दिया जायेगा जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी (इनके वयस्क होने तक) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की होगी।

नियम 4. अनुदान सहायता

प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर, इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त

अनुदान दिया जायेगा। पालनहार व्यक्ति को अपना आवेदनपत्र जिला अधिकारी को देना होगा, जिसे जाँच के बाद जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

नियम 5: पालनहार को बदलना

संतोषजनक कार्य नही किये जाने की स्थिति में जिला अधिकारी द्वारा पालनहार को बदला जा सकेगा।

नियम 6: योजना की समीक्षा

पालनहार योजना की समीक्षा प्रतिमाह निदेशक द्वारा की जायेगी।

नियम 7: योजना की मोनिटरिंग एवं बजट आंवटन

पालनहार योजना के क्रियान्वयन, मोनिटरिंग एवं जिला अधिकारियों को बजट आवंटन की कार्यवाही निदेशक महोदय की अनुमति से प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

नियम 8. विविध

1) प्रत्येक जिला अधिकारी पालनहार योजना की स्वीकृति नियमित रूप से प्रतिमाह जारी करेगें।

2) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

3) पालनहार को भुगतान स्वयं जिला अधिकारी या उसके कर्मचारी द्वारा घर जाकर किया जायेगा।

नियम 9: नियमों में शिथिलता

इन नियमों की व्याख्या व दुर्लभ प्रकरणों में शिथिलता के लिए आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सक्षम होगे। किसी भी विवाद में आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

यह संशोधित नियम वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 2901/31.12.04, 1698/16.8.05 एवं 127/23.4.07 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किए जा रहे है।

संलग्नः आवेदन पत्र

(एस.सी.देराश्री) 25.4.2007
आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ14(1)(208)मुवाअ/सान्यअवि/07/22945-23111 जयपुर, दिनांक : 25.04.2007

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/वित्त विभाग, जयपुर।
3. उपशासन सचिव, वित्त व्यय – II राज. जयपुर।
4. जिला कलेक्टर .....
5. विशिष्ठ सहायक, मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद .....
7. मुख्य लेखाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक, एस.सी.पी., सकवि, जयपुर।
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
10. जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यावास, जयपुर।
11. जिला बालक अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
12. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

25.4.07

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक एफ14(1)(208)मुवाअ/सान्याअवि/07/ 48595 जयपुर, दिनांक 07-8-07

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधित नियम, 2007 के नियम 4 में निम्न संशोधन एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

नियम 4. अनुदान सहायता

(1) निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के बच्चों को छोड़कर प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर, इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।

(2) निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के मामले में उसके केवल एक बच्चे के लिए 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 500 रूपये प्रतिमाह एवं 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 675 रूपये मासिक अनुदान देय होगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि रूपये 2000/– देय नहीं होगी।

(3) निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के एक से अधिक बच्चें होने पर नियम 4(2) के अनुसार उसकी द्वितीय संतान के 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक एक बच्चें के लिए मासिक अनुदान देय होगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि रूपये 2000/– देय नहीं होगी।

(4) पालनहार व्यक्ति को अपना आवेदनपत्र जिला अधिकारी को देना होगा, जिसकी जॉच के बाद जिलाधिकारी द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 2458/PS/F&P/07 दिनांक 04.08.2007 के अनुसरण में प्रसारित किए जाते है।

(एस.सी.देराश्री) 07-8-07
आयुक्त

क्रमांक एफ14(1)(208)मुवाअ/सान्याअवि/07/ 48596-639 जयपुर, दिनांक 07-8-07

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/वित्त विभाग, जयपुर।
3. उपशासन सचिव, वित्त व्यय – II राज. जयपुर।
4. जिला कलेक्टर ....
5. विशिष्ठ सहायक, मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ....
7. मुख्य लेखाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक, एल.सी.पी., सकवि, जयपुर।
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
10. जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यावास, जयपुर।
11. जिला बालक अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
12. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
07-8-07

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, बाईस गोदाम पुलिया के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)(206)मुवाअ/सान्याअवि/07/3514 जयपुर, दिनांक : 27.1.010

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधन नियम, 2007 व आदेश संख्या 48595 दिनांक 07.08.2007 में निम्न प्रकार संशोधन किए जाते है:-

नियम एवं उपनियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
2(6) (परिभाषा)	"अनाथ बच्चों" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनको न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारवास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो।	"अनाथ बच्चों" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनको न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारवास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो।
3 (5 अ)	नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया।	विधिवत पुनर्विवाह करने वाली माता की संतान हेतु योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए विधवा माता के पुनर्विवाह का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गए विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र पालनहार द्वारा आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
4 (4)	वर्तमान उपनियम 4(4) को 4(5) क्रमांकित कर 4(4) नया उपनियम प्रतिस्थापित किया।	विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्षों के लिए 500 रू. प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रू. प्रतिमाह उक्त नियमों के अध्यधीन अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते-जुराब स्वेटर इत्यादि के लिए 2,000 रू. वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अर्न्त विभागीय टीप संख्या 100904902 दिनांक 08.01.2010 से प्राप्त सहमति के अनुसरण मे प्रसारित किए जा रहे है।

आयुक्त 27/01/10

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, बाईस गोदाम पुलिया के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)(208)मुदाअ/सान्यअदि/07/ 25816 जयपुर, दिनांक 30/4/10

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधन नियम, 2007, आदेश संख्या 48595 दिनांक 07.08.2007 व आदेश संख्या 3514 दिनांक 27.01.2010 में निम्न प्रकार संशोधन किए जाते हैं:-

नियम एवं उपनियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
2(6) (परिभाषा)	"अनाथ बच्चों" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनको न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो।	"अनाथ बच्चों" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनको न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो अथवा कुष्ठ रोग/एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान हो।
3 (5 ब)	नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया।	कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान हेतु योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए कुष्ठ पीड़ित को सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
3 (5 स)	नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया।	एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान हेतु योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए एड्स पीड़ित को राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में कराए गए पंजीयन का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
4 (5)	वर्तमान उपनियम 4(5) को 4(6) क्रमांकित कर 4(5) नया उपनियम प्रतिस्थापित किया।	कुष्ठ रोग/एड्स रोग से पीड़ित माता/पिता की प्रत्येक संतान के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।
कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के प्रकरणों में उनकी चिकित्सा से रोग दूर होने बाद भी योजनान्तर्गत नियमानुसार सहायता जारी रहेगी।		

यह आदेश वित्त विभाग की अन्तर्गत विभागीय टीप संख्या 1010013333 दिनांक 28.04.2010 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रसारित किए जा रहे हैं।

आयुक्त 30/04

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राईरा गोदाम पुलिया के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)(266)पुवाआ/सान्याअवि/07/ 16301

जयपुर, दिनांक : 3/3/2011

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधन नियम, 2007, आदेश संख्या 48595 दिनांक 07.08.2007, आदेश संख्या 3514 दिनांक 27.01.2010 एवं आदेश संख्या 25816 दिनांक 30.04.2010 में निम्न प्रकार संशोधन किए जाते है:-

नियम एवं उपनियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
2(6) (परिभाषा)	"अनाथ बच्चों" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनकों न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो अथवा कुष्ठ रोग/एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान हो।	"अनाथ बच्चों" से तात्पर्य ऐसे बालक/बालिका से है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उनकों न्यायिक आदेशों के तहत मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो व विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हों अथवा विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो अथवा कुष्ठ रोग/एड्स पीड़ित माता/पिता की संतान हो अथवा जिनकी माता उन्हें छोड़कर नाते चली गई हो और उसे नाते गए हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है।
3 (5 c)	नया उपनियम प्रतिस्थापित किया गया।	नाते जाने वाली माता की संतान हेतु योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम सभा की सिफारिश पर सचिव-ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित नगर परिषद/नगर निगम/नगर पालिका के यथास्थिति आयुक्त /मुख्य कार्यकारी /अधिशाषी अधिकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे जारी किया गया प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
3 (7)	15 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद इन बच्चों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रखा जायेगा। छात्रावास में अवकाश होने पर इन अनाथ बच्चों को पालनहार द्वारा रखा जायेगा, जिसके लिए पालनहार को अवकाश अवधि के अनुपात में मासिक अनुदान मिलेगा। ऐसे अनाथ बच्चों की सम्पत्ति का विवरण विभाग द्वारा तहसीलदार/नगरपालिका एवं पंचायत को दिया जायेगा जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी (इनके वयस्क होने तक) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की होगी।	विलोपित।
4 (अनुदान सहायता)	(1) निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के बच्चों को छोडकर प्रत्येक अनाथ बच्चे	(1) निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला एवं नाते जाने वाली माता के बच्चों को

C:\Users\...\PALANHAR...

3/3/2011

नियम एवं उपनियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
•	के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर, इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। (2) निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के मामले में उसके केवल एक बच्चे के लिए 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 500 रूपये प्रतिमाह एवं 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 675 रूपये मासिक अनुदान देय होगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि रूपये 2000/– देय नहीं होगी। (3) निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के एक से अधिक बच्चें होने पर नियम 4(2) के अनुसार उसकी द्वितीय संतान के 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक एक बच्चें के लिए मासिक अनुदान देय होगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि रूपये 2000/– देय नहीं होगी। (4) विधिवत पुनर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्षों के लिए 500 रू. प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 675 रू. प्रतिमाह उक्त नियमों के अध्यधीन अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते–जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिए 2,000 रू. वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। (5) कुष्ठ रोग/एड्स रोग से पीड़ित माता/पिता की प्रत्येक संतान के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल मे दाखिल होने के बाद 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। (6) पालनहार व्यक्ति को अपना आवेदनपत्र जिला अधिकारी या सक्षम अधिकारी को देना होगा, जिसकी जाँच के बाद जिलाधिकारी द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा।	छोड़कर प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 18 वर्ष आयु पूर्ण करने तक 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा तथा वस्त्र, जूते, जुराब, स्वेटर, इत्यादि के लिए 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। (2) नाता जाने वाली माता की एक संतान हेतु एवं निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला को उसकी एक संतान हेतु विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500 रूपये प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 18 वर्ष आयु पूर्ण करने तक 675 रूपये प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि रूपये 2000/– देय नहीं होगी। (3) पालनहार व्यक्ति को अपना आवेदन पत्र जिला अधिकारी या सक्षम अधिकारी को देना होगा, जिसकी जाँच के बाद जिलाधिकारी द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा। (4) यथावत। (5) यथावत। (6) यथावत।

यह आदेश वित्त विभाग की अर्न्त विभागीय टीप सख्या 101004466 दिनांक 09.02.2011 से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में प्रसारित किए जा रहे है।

आयुक्त
3/3/11

क्रमांक : एफ 14(1)(208)मुबाअ/सान्याअवि/ध/ 16302-17050 जयपुर, दिनांक 3/3/2011

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग/नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. महालेखाकार, लेखा व हक, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/नगरीय विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/चिकित्सा विभाग, जयपुर।
6. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय – II) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर, ...
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ....
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम, ...
11. मुख्य लेखाधिकारी/संयुक्त निदेशक (आयोजना), मुख्यावास।
12. जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यावास, जयपुर को वास्ते उचित प्रचार–प्रसार।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, ...
14. जिला बालक अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
15. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....
16. अधीक्षक, राजकीय किशोर गृह/सम्प्रेक्षण गृह/सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/बालिका गृह/अपचारी बालिका गृह/विशेष गृह/शिशु गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...।
17. रक्षित पत्रावली।

3/3/11

मुख्य बालक अधिकारी

राजस्थान सरकार

निदेशालय बाल अधिकारिता

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3 / 1 ए, अम्बेडकर भवन (विस्तार), होटल राजमहल रेजीडेन्सी परिसर, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)(208) / मुपाअ / सान्याअवि / 13 / 433

जयपुर दिनांक 26/04/2013

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी "पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2007" आदेश संख्या 48595 दिनांक 07.08.2007, आदेश संख्या 3514 दिनांक 27.01.2010, आदेश संख्या 25816 दिनांक 30.04.2010 एवं आदेश संख्या 16901 दिनांक 03.03.2011 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते है:–

1. नियम संख्या 2– परिभाषा के उपनियम संख्या (7) में निम्नानुसार वाक्यांश जोडा जाता है:–

   "विशेष योग्यजन पेंशन हेतु पात्र माता–पिता के बच्चों के लिए विशेष योग्यजन माता अथवा पिता पालनहार होंगे। निराश्रित पेंशन हेतु पात्र तलाकशुदा व परित्यकता महिला के बच्चों के लिये तलाकशुदा व परित्यकता महिला माता स्वयं पालनहार होगी।"

2. नियम संख्या 2– परिभाषा के उपनियम संख्या (7) के बाद उपनियम संख्या (8) निम्नानुसार जोडा जाता है:–

   "विशेष योग्यजन माता एवं / या पिता अभ्यर्थी का आशय 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता का निःशक्तता प्रमाण पत्र धारी विशेष योग्यजन माता एव पिता से है।"

3. नियम संख्या 3– पात्रता के उपनियम संख्या (7) के बाद उपनियम संख्या (8) व (9) निम्नानुसार जोडा जाता है:–

   (8) "विशेष योग्यजन माता एवं / या पिता के सभी बच्चे जो उनके साथ रहते हो तथा माता एवं / या पिता की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।"

   (9) "तलाकशुदा व परित्यक्ता महिला के सभी बच्चे जो अपनी माता के साथ रहते हों तथा उनकी वार्षिक आय 1.20 लाख से कम होनी चाहिए"

यह आदेश वित्त विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 101204328 दिनांक 26.11.2012 से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में प्रसारित किये जा रहे है।

प्रमुख शासन सचिव
25/4/13

C:\Documents and Settings\User\Desktop\Letters.doc

दूरभाष नम्बर– 01412226640 फैक्स नम्बर– 01412220336 ई–मेल–ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांक : एफ 14(1)(200../पुबाअ/सान्याअवि/13/ 435-615 जयपुर, दिनांक 26/09/2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार, लेखा व हक, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य/प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/चिकित्सा विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय – II) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, ...
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ....
8. मुख्य लेखाधिकारी/संयुक्त निदेशक (आयोजना), मुख्यावास।
9. सहायक निदेशक, प्रचार-प्रसार एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यावास, जयपुर को वास्ते उचित प्रचार-प्रसार।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, ...
11. जिला बालक अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
12. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग, ...
13. अधीक्षक, राजकीय किशोर गृह/सम्प्रेक्षण गृह/सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/बालिका गृह/अपचारी बालिका गृह/विशेष गृह/शिशु गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...।
14. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

मुख्यालय नम्बर- 01412226640 फैक्स नम्बर- 01412220336 ई-मेल- ccosjerajasthan@gmail.com

राजस्थान सरकार
निदेशालय बाल अधिकारिता

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1 ए, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

क्रमांक : एफ 14 (2)( ) आर.एस.सी.पी.एस./आई.सी.पी.एस./नि.बा.अ./13/1111 जयपुर, दिनांक: 01/05/2013

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी "पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2007"अन्तर्गत विभाग के समसंख्यक आदेश संख्या 433 दिनांक 26.04.2013 द्वारा पालनहार योजना में जोड़ी गई नवीन श्रेणियों में परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला की परिभाषा निम्नानुसार होगी।

नियम संख्या 2 – परिभाषा के उपनियम संख्या 7 के बाद उपनियम संख्या 8 के नीचे निम्नानुसार स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है।

"स्पष्टीकरणः– उक्त प्रयोजन हेतु "परित्यक्ता" से अभिप्रेत हैः–

(क) समस्त वैध रूप से विच्छिन्न विवाह महिलाएं जिनके पास विवाह–विच्छेद डिक्री हो,

(ख) समस्त वैध रूप अलग हुई महिलाएं, जिनके पास न्यायालय आदेश हो,

(ग) ऐसी समस्त महिलाएं, जिनके विवाह विच्छेद या दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन चाहने के मामले न्यायालय में पॉच वर्ष से अधिक समय से लम्बित हों और जिनके पास न्यायालय दस्तावेज हों।

(घ) ऐसी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं जिनका तलाकनामा स्वयं के शपथ–पत्र एवं दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी अथवा धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(ड.) "ऐसी महिलाएं" जो तीन वर्ष से अधिक समय से पति से अलग रह रही है, एवं पति से कोई सम्बन्ध नहीं है"

ग्रामीण क्षेत्र की उक्त परित्यक्ता महिलाओं को, सरपंच, ग्राम सचिव एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका प्रतिनिधि अधिकारी एवं वार्ड मेम्बर/वार्ड पार्षद एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के द्वारा परित्यक्ता का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत परित्यक्ता महिला के बच्चों को पालनहार योजना में लाभान्वित करते समय प्रति वर्ष इस आशंय का शपथ पत्र देना होगा कि वह अपने पति से गत् 3 वर्ष से अधिक समय से अलग रह रही है एवं पति से कोई संबंध नहीं है।

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ 14 (2)( ) आर.एस.सी.पी.एस. /आई.सी.पी.एस. /नि.बा.अ. / 13 /1112-1269 | 5 | जयपुर, दिनांक: 01/07/2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार, लेखा व हक, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य/प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग/सान्याअवि/चिकित्सा विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
5. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय–।।) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर..।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्..।
8. मुख्य लेखाधिकारी/संयुक्त निदेशक (आयोजना) मुख्यावास।
9. सहायक निदेशक, प्रचार–प्रसार एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यावास, जयपुर को वास्ते उचित प्रचार–प्रसार।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय ....।
11. जिला बालक अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग..............................।
12. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग..।
13. अधीक्षक, राजकीय किशोर गृह/सम्प्रेक्षण गृह/सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/बालिका गृह/अपचारी बालिका गृह/विशेष गृह/शिशु गृह, सान्याअवि ....।
14. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

Laptop/D/DCR Office Work/Letters

राजस्थान सरकार
निदेशालय बाल अधिकारिता

जी3/1 ए, अम्बेडकर भवन (विस्तार), राजमहल रेजीडेन्सीयल एरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)(208)मुबाअ/सान्याअवि/07/ 7951 जयपुर, दिनांक : 29/5/13

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधन नियम, 2007, आदेश संख्या 48595 दिनांक 07.08.2007, आदेश संख्या 3514 दिनांक 27.01.2010, आदेश संख्या 25816 दिनांक 30.04.2010, आदेश संख्या 16901 दिनांक 03.03.2011, आदेश संख्या 33636 दिनांक 29.03.2013, आदेश संख्या 41321 दिनांक 04.04.2013, आदेश संख्या 433 दिनांक 26.04.2013 एवं आदेश संख्या 1111 दिनांक 01.05.2013 में निम्न प्रकार संशोधन किए जाते है:–

नियम एवं उपनियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
4 (अनुदान सहायता)	(2) नाता जाने वाली माता की एक संतान हेतु एवं निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला को उसकी एक संतान हेतु विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500/– प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 18 वर्ष आयु पूर्ण करने तक 1000/– प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि 2000/– देय नहीं होगी।	(2) नाता जाने वाली माता की तीन संतान हेतु एवं निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला को उसकी तीन संतान हेतु विभाग द्वारा प्रारम्भिक 5 वर्ष के लिए 500/– प्रतिमाह एवं स्कूल में दाखिल होने के बाद 18 वर्ष आयु पूर्ण करने तक 1000/– प्रतिमाह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। इन्हें वार्षिक एकमुश्त राशि 2000/– देय नहीं होगी।

यह आदेश वित्त विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 101302152 दिनांक 27.05.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रसारित किए जा रहे है।

प्रमुख शासन सचिव
29/5/13

क्रमांक : एफ 14(1)(208)मुबाअ/सान्याअवि/07/ 7952-8100 जयपुर, दिनांक : 29/5/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, ...
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद .....
8. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (आयोजना), मुख्यावास।
9. सहायक निदेशक (प्रचार–प्रसार), मुख्यावास को वास्ते उचित प्रचार–प्रसार।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, ...
11. जिला बालक अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
12. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
13. अधीक्षक, राजकीय किशोर गृह/सम्प्रेक्षण गृह/सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/बालिका गृह/अपचारी बालिका गृह/विशेष गृह/शिशु गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...।
14. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (ब्लॉक) .....।
15. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
29/5/13

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

क्रमांक : एफ 15 (3) (1) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2018/72759 जयपुर, दिनांक : 03/10/2018

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी संशोधित नियम, 2007 के नियम–3 (1) में निम्न संशोधन एतद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–

नियम एवं उप नियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
नियम–3 (1) अनुदान पात्रता	बच्चों की उम्र जन्म से लेकर 18 वर्ष तक होनी चाहिए।	(1) बच्चों की उम्र जन्म से लेकर 18 वर्ष तक होनी चाहिए। (अ) बच्चे द्वारा 12 वीं कक्षा अथवा निम्न कक्षा में अध्ययनरत् होने/रहने से पूर्व यदि 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों को एक अतिरिक्त वर्ष तक (19 वर्ष तक) की उम्र पूर्ण करने तक लाभ प्रदान किया जा सकेगा। उक्त लाभ बच्चे के 19 वर्ष की उम्र पूर्ण होने या 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् देय नहीं होगा।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161801023 दिनांक 20.09.2018 के अनुसरण में प्रसारित किये जाते है।

(कृष्ण कुणाल)
आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक : एफ 15(3) (1) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2018/72760-850 जयपुर, दिनांक : 03/10/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि., शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज/वित्त विभाग/प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास विभाग/सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।

4. समस्त संभागीय आयुक्त, ...।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर, ...।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
9. प्रबंध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.), राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, ...।
13. समस्त जिला कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, ...।
14. समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ...।
15. रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार)
अतिरिक्त निदेशक(सा.सु.)